संख्याम 64 /2016/1549/71-2-16-57/2016

प्रेषक,

अरिन्दपम भट्टाचार्य़
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सुपर स्पेकशिलिटी बाल चिकित्सा लय एवं
पोस्टस ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थासन, नोएडा ।

चिकित्साशिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2016

विषय- वित्तीसय वर्ष 2016-17 में संस्थानन के कार्मिकों के वेतन एवं अन्य1 आवश्यरक व्यकयों के वहन हेतु वित्तीसय स्वी कृति।

महोदय,

उपर्युक्त- विषयक आपके पत्रांक- दिनांक 01-04-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीकय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्याम31 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष में संस्थानन के कार्मिकों के वेतन भुगतान हेतु 31-सहायता अनुदान-सामान्यष (वेतन) मद में प्राविधानित पूर्ण धनराशि रू0 35,00,00,000/- (रूपया पैतीस करोड मात्र) तथा अन्य6 आवश्यांक व्यनयों के वहन हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्यर (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 27.00 करोड के सापेक्ष धनराशि रू0 13,50,00,000/- (रूपया तेरह करोड पचास लाख मात्र) को निम्न7लिखितशर्तो/प्रतिबन्धोंरके अधीन अवमुक्तयकिये जाने की श्री राज्यंपाल महोदय सहर्ष स्वीवकृति प्रदान करते है:-

1. स्वी कृतकी जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वी कृतधनराशि का आहरण वास्तोविक आवश्यलकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा त था इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए यह धनराशि स्वीयकृतकी जा रही है। किसी अन्यमम्मद में व्योय वित्तीमय अनियमितता मानी जायेगी।
3. वित्तय विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. स्वी कृत धनराशि का व्याय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध् कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्ती निर्गत किया जाना सम्भववव नहीं होगा।

2- धनराशि को कोषागार से संस्थागन के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्साशिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्रस्तुत किये जायेंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के लेखानुदान में अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक "2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य- आयोजनागत-05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-03-शिक्षा-03 70-सुपर स्पेशिलिटी बाल चिकित्साषलय एवं पोस्टय ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थाान, नोयडा की स्थाथपना-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) से रू0 13,50,00,000/- तथा 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) से रू0 35,00,00,000/- की धनराशि" के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्याइपित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरिन्दनम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

संख्याक 64 /2016/1549(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नमलिखित्को सूचनार्थ एवं आवश्येक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, अवस्थाकपना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
4. महानिदेशक, चिकित्साबशिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्तद नियंत्रक, सुपर स्पे शिलिटी बाल चिकित्सा लय एवं पोस्टप ग्रेजुएट शैक्षणिक संस्थारन, नोयडा।
6. मुख्यद कार्यपालक अधिकारी, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नोएडा।
7. वित्तद (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्ते (आय-व्ययक) अनुभाग-2
8. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 ।
9. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन ।
10. गार्ड फाइल/निजी सचिव, विशेष सचिव (श्री भट्टाचार्य) उक्ता शासनादेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यपकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्याइपित की जा सकती है ।